भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस प्रकाशनी | 17 मार्च, 2026

Press Release | 17th March, 2026

पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और वार्षिक शुल्क के भुगतान हेतु संक्रमणकालीन व्यवस्था

Transitional arrangements for issuance of Certificate of Registration and payment of Annual Fee

आईआरडीएआई ने 16 मार्च 2026 को एक परिपत्र जारी किया है, जो 5 फरवरी 2026 से प्रवृत्त सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों में संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन के बाद बीमा मध्यवर्तियों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने और वार्षिक शुल्क के भुगतान हेतु संक्रमणकालीन व्यवस्था को रेखांकित करता है।

इस अधिनियम ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी को संशोधित किया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि बीमा मध्यवर्तियों को प्रदत्त पंजीकरण अब वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन, निरंतर आधार पर वैध रहेंगे, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा ऐसे पंजीकरण को निलंबित या निरस्त नहीं कर दिया जाता है।

संशोधन के परिणामस्वरूप, पंजीकरण प्रमाणपत्र की तीन साल की वैधता अवधि और नवीकरण शुल्क के भुगतान को निर्धारित करने वाली पूर्ववर्ती प्रणाली को 5 फरवरी 2026 से बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए, सभी बीमा मध्यवर्तियों को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क अपेक्षा का अनुपालन करना होगा।

नई व्यवस्था में सुचारू परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने हेतु 5 फरवरी 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के दौरान बीमा मध्यवर्तियों को प्रदत्त नई पंजीकरण या पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर लागू एक अंतरिम व्यवस्था शुरु की गई है। इस अवधि के दौरान, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के समय एक अंतरिम वार्षिक शुल्क देय होगा। लागू शुल्क संरचना को परिपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है। वार्षिक शुल्क भुगतान को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक विनियामक रुपरेखा अधिसूचित होने तक अंतरिम व्यवस्था प्रभावी रहेगा।

ऐसे मामले जहां पंजीकरण का नवीनीकरण 5 फरवरी 2026 को या उसके बाद प्रदत्त हो और नवीकरण शुल्क पहले ही भुगतान किया जा चुका है, संग्रहीत राशि देय अंतरिम वार्षिक शुल्क के अनुसार समायोजित की जाएगी। ऐसे समायोजन से उत्पन्न कोई भी अतिरिक्त राशि संबंधित मध्यवर्ती को लौटा दी जाएगी।

IRDAI issued a circular on 16th March 2026 outlining transitional arrangements for issuance of Certificates of Registration and payment of annual fees for insurance intermediaries following the implementation of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025, which came into effect on 5 February 2026.

The Act has amended Section 42D of the Insurance Act, 1938, providing that registrations granted to insurance intermediaries will now remain valid on a continuous basis, subject to payment of an annual fee, until such registration is suspended or cancelled by the Authority.

As a result of the amendment, the earlier system prescribing a three-year validity period for Certificates of Registration and payment of renewal fees has been discontinued with effect from 5 February 2026. Going forward, all insurance intermediaries will be required to comply with the annual fee requirement as may be specified through regulations.

To facilitate a smooth transition to the new regime, an interim arrangement has been introduced applicable to insurance intermediaries granted fresh registration or renewal of Certificate of Registration during the period from 5 February 2026 to 30 June 2026. During this period, an interim annual fee will be payable at the time of issuance of the Certificate of Registration. The applicable fee structure has been specified in the circular. The interim measure will remain in force until a comprehensive regulatory framework governing annual fee payments is notified.

Cases where renewal of registration has been granted on or after 5 February 2026 and the renewal fee had already been paid earlier, the amount collected will be adjusted against the interim annual fee payable. Any excess amount arising from such adjustment will be refunded to the concerned intermediary.